

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11062020-219892
SG-DL-E-11062020-219892

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2020/ज्येष्ठ 21, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 47
No. 112]	DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2020/JYAISHTHA 21, 1942	[N.C.T.D. No. 47

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 जून, 2020

सं. फा. 16(1)/श.वि./डब्ल्यू/2000-01/पार्ट फाइल/813-820.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम 4) की धारा 3 की उपधारा (5) तथा उपधारा (2) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मंत्री (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्वारा दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य के रूप में दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री भुपेन्द्र सिंह जून को इस सरकार की दिनांक 6 अप्रैल 1998 की अधिसूचना सं. फा. 16(1)/श.वि./दि.ज.बो./98-99/4199 के अनुसार गठित दिल्ली जल बोर्ड में उनके संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए या विधान सभा के सदस्य के रूप में उनकी व्यक्तिगत समयावधि समाप्त होने तक नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय मंत्री (शहरी विकास)
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
हरजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (जल)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th June, 2020

F. No. (16)/(1)/UD/W/2000-2001/Part File/813-820.—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) and sub-section (5) of section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), the Hon'ble Minister (UD) of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **Sh. Bhupinder Singh Joon**, Member of Delhi Legislative Assembly, nominated by the Speaker, Delhi Legislative Assembly as Member in the Delhi Water Board, Delhi constituted *vide* this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated 6th April, 1998, for a period of two years with effect from the date he assume charge of his respective office, or till the individual ceases to be a member of the Legislative Assembly.

By Order and in the Name of Hon'ble Minister (UD)
of National Capital Territory of Delhi,

HARJEET SINGH, Section Officer (Water)